जानकारी के अभाव में पशुओं को दिए जा रहे एंटीबायोटिक

पशु चिकित्सकों की कमी, गौ सेवक बने हैं डॉक्टर

मप्र की हालतः 17 हजार पशुओं पर 1 पशु चिकित्सा स्नातक

मध्य प्रदेश में पशु चिकित्सकों की कमी के चलते पैरावेट और गौ सेवकों द्वारा पशुओं का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। जानकारी के अभाव में पैरावेट और गौ सेवक पशुओं की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए बिना किसी पैरामीटर के एंटीबायोटिक दवाएं दिए जा रहे हैं, जिसका पशुओं के स्वास्थ्य के साथ मानव शरीर पर बुरा असर पड़ रहा है।

अर्पण खरे, भोपाल

- मप्र में जनपद पंचायत- 23006
- पशु चिकित्सा स्नातक- 1100
- पशुओं की संख्या- 1.90 करोड़
- 17000 पशुओं पर पशु चिकित्सा स्नातक- 1, जबकि नियमतः 5000 पशुओं पर होना चाहिए एक पशु चिकित्सा स्नातक।

(एनबीएजीआर के अनुसार)

इसलिए जरूरी है पॉलिसी

देखने में आ रहा है कि जरा सा दर्द या अन्य किसी कारण के चलते लोग बिना डाक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक खा लेते हैं। कई बार डाक्टर भी सामान्य बीमारी में मरीजों को हैवी एंटीबायोटिक का डोज दे देते हैं। इससे शरीर में मौजूद फायदेमंद बैक्टीरिया मर जाते हैं। इससे किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित होने पर मरीज पर हैवी एंटीबायोटिक भी असर नहीं करती।

समस्या का समाधान

- पशु चिकित्सालय और पशु औषधालय का प्रभारी क्वालीफाई रजिस्टर्ड वेटनरी प्रैक्टिशनर ही होना चाहिए।
- वर्तमान में पैरावेट और गौ सेवक ही पशु औषधालय को चला रहे हैं। जोकि धारा 30बी का उल्लंघन है।
- उदाहरण के लिए केरला, आंध्रप्रदेश और राजस्थान में पशु औषधालय में क्वालीफाई वेटनरी प्रैक्टिशनर ही होते हैं।

सरकार बना रही पॉलिसी

डाक्टर मरीजों को बेवजह एंटीबायोटिक दवाएं नहीं दे सकेंगे। इस बारे में सरकार एंटीबायोटिक पॉलिसी जनवरी से लागू करने जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) दवाओं के अधिक इस्तेमाल पर लगाम लगाने के लिए यह सिफारिश की है। वहीं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को पॉलिसी बनाने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में दिसम्बर के पहले सप्ताह में बैठक आयोजित होगी, जिसमें एंटीबायोटिक पॉलिसी पर मुहर लगते ही इसे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। इस पॉलिसी को बनाने के लिए 11 डाक्टरों की कमेटी गठित की गई है। इसके अध्यक्ष एम्स के डिपार्टमेंट आफ माइक्रोबायोलाजी के प्रमुख डा. देवाशीष विश्वास हैं। इन दवाओं को पांच श्रेणियों में बांटने के लिए राज्य के सभी मेडिकल कालेज और हॉस्पिटल प्रमुखों से इनके उपयोग की रिपोर्ट मांगी गई है।

मध्य प्रदेश में 23006 जनपद पंचायत हैं, जिसमें 1 करोड़ 90 लाख पशुओं की संख्या है। इनकी देखभाल करने के लिए करीब 11 सौ पशु चिकित्सक स्नातक हैं। यानी 17 हजार पशुओं की देखभाल के लिए 1 पशु चिकित्सक स्नातक मप्र में है। जबकि नेशनल ब्यूरो आफ एनिमल जेनेटिक रिसर्च (एनबीएजीआर) के मुताबिक 5 हजार पशुओं की संख्या पर एक पशु चिकित्सक होना चाहिए। प्रदेश में पशु चिकित्सकों की कमी को पैरावेट और गौ सेवकों द्वारा पूरा किया जा रहा है। सुदूर ग्रामीण अंचलों में पैरावेट और गौ सेवकों द्वारा पशुओं का इलाज किया जा रहा है। जबकि 1984 की धारा 52 के अंतर्गत 30 बी में केवल रजिस्टर्ड पशु चिकित्सक की काम कर सकता है।

बिना प्रिस्क्रिप्शन बाजार में उपलब्ध : दवाओं की जानकारी के अभाव में गौ सेवक पशुओं को एंटीबायोटिक समेत अन्य दवाएं दे रहे हैं। जोकि पशुओं के स्वास्थ्य के साथ इन्हें उपयोग में लाने वाले लोगों पर भी बुरा प्रभाव डाल रहे हैं। गाय, भैंस में दूध क्षमता बढ़ाने के लिए ओक्सीटोशन, बेहोशी के लिए कीटामिन व जाइलाजिन दवा दी जाती है। पशुओं में उत्पादन क्षमता व वजन बढ़ाने के लिए सिफेलोस्पोरिन, एम्पीसिलिन, फ्लोक्सासिलिन आदि एंटीबायोटिक दिए जाते हैं। यह एंटीबायोटिक बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी बाजार में मिल जाते हैं। पशुओं पर इनका ज्यादा उपयोग होने से इनका अंश अंडा, दूध, मांस आदि में रह जाता है। यहीं मानव द्वारा उपयोग में लाने पर उनकी प्रतिरोधक क्षमता को कम कर रहा है। एंटीबायोटिक का ओवरडोज समय से शरीर के बाहर नहीं होता। इसलिए इन्हें उपयोग में लाने वाले लोग भी इसके असर से नहीं बच पाते।

पशुओं की ट्रीटमेंट क्वालीफाई रजिस्टर्ड वेटनरी प्रैक्टिशनर द्वारा ही होना चाहिए, ताकि खाद्य पदार्थ देने वाले पशुओं को दी जाने वाली दवा और एंटीबायोटिक का सही डोज दिया जा सके और इससे मानव शरीर पर भी बुरा असर नहीं पड़ेगा।

-डा. उमेश चंद्र शर्मा, अध्यक्ष, वेटनरी काउंसिल आफ इंडिया